

“बिजेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डांक»
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
पिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
संगड़/दुर्ग/09/2010-2012.”



Amendment - I

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 जून 2011—ज्येष्ठ 17, शक 1933

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 7-02/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) सहपठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विशेष बैंक (अचल संपत्ति का व्यवन) नियम, 2008 में निर्मालित और संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित अनुसार, पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 12 के उप-नियम (2) में, शब्द “सार्वजनिक उपकरण” के पश्चात् शब्द “यो-केन्द्रीय/राज्य शासन द्वारा किसी विधि के अधीन स्थापित कोई वित्तीय संस्थान या राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय शासन/राज्य शासन द्वारा विशिष्ट प्रयोजन हेतु गठित सोसायटियां अथवा निगम अथवा मंडल” जोड़ा जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव,

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

क्रमांक/एफ 7-02/2011/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक आधिसूचना दिनांक 7 जून, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव

Raipur, the 7th June 2011

NOTIFICATION

No. B 7-02/2011/32.—In exercise of the powers conferred by Section 85 read with sub-section (3) of Section 10 of the Chhattisgarh Nagar Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Viseshi Kshetra (Achal Sampatti Ka Vyayan) Niyam, 2008. The same has been previously published as required under sub-section (1) of Section 85 of the said Act, namely—

AMENDMENT

of the said rules—

in sub-rule (2) of Rule 12, after the words “Public undertaking” the words “Or any financial institution established under any law by Central Government/State Government or nationalized banks, cooperative banks or societies or corporation or boards constituted for specific purpose by the Central Government/State Government” shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. S. BAJAJ, Special Secretary.